न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
136 / 2022	16.12.2022	3.7.2025

लाड़बाई पत्नी बाबू लाल, जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, वादिया

बनाम

1. उगन्ती पत्नी रामसहाय
2. प्रहलाद पुत्र रामसहाय

दोनों जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला,
4. प्रेमवती पत्नी रामधन,
5. पान बाई पत्नी मीठा लाल,
6. बाबू लाल पुत्र बिरधा,

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 3.7.2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 110 रकवा 1.49 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाटौदा रामसहाय पुत्र गंगोल्या व अन्य सहखातेदारान प्रेम पत्नी रामधन, पानबाई पत्नी मीठा लाल, बाबू पुत्र विरधा, जाति बैरवा के नाम दर्ज रही है

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (राज.)

Scanned with CamScanner

तथा हाल खसरा नम्बर 34 रकवा 1.84 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाटौदा रामसहाय पुत्र गंगोल्या जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है । उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 110 रकवा 1.49 हैक्टेयर में से रामसहाय द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा 49/298 व खसरा नम्बर 34 रकवा 1.84 हैक्टेयर में से अपना संपूर्ण हिस्सा 13/184 वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.12.2020 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दिया गया है, तभी से उक्त भूमि पर वादिया बहैसियत खातेदार काश्त करती चली आ रही है । आगे कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का तत्समय वादिया के नाम नामान्तकरण नहीं खुल सका । इसके पश्चात खातेदार रामसहाय पुत्र गंगोल्या का निधन हो गया तथा खसरा नम्बर 34 का विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में खुल गया । जबकि उपरोक्त विकयशुदा आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 या अन्य किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है । उपरोक्त मृतक रामसहाय की विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम खुल जाने से वादिया के पक्ष में उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है । वादिया ने रामसहाय के निधन के उपरान्त कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से तहसील बरनाला में बयान कर उनके हक में नामान्तकरण खुलवाने बावत कहा व तहसीलदार बरनाला से भी निवेदन किया किन्तु वह पहले तो हॉ हूं करता रहा, किन्तु अंत में दिनांक 10.9.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 ने नामान्तकरण खोलने में असमर्थता जताते हुए सम्बन्धित न्यायालय से आदेश

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

लाने बावत कहा । इस आधार पर वादिया ने वाद पत्र न्यायालय में पेश करते हुए दावे को डिक्री किए जाने का अनुरोध किया है व अनुरोध किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 110 रकवा 1.49 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाटौदा में से रामसहाय पुत्र गंगोल्या का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके हिस्से 49/298 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसी अनुसार हाल खसरा नम्बर 34 रकवा 1.84 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में से हिस्से 13/184 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किए जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को उचित आदेश पठाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाया जावे ।

निर्णय को आगे लिखने से पूर्व यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि मूल रूप से वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के बारे में ही पेश किया गया था, किन्तु विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर दिए गए आदेश के अनुसार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 4 अतिरिक्त रूप से संयोजित किए गए हैं ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता पत्रावली में दिनांक 26.7.2023 को वादिया से राजीनामा कर न्यायालय में राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया ।

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से उक्त संशोधन किए जाने में अपनी ओर से कोई आपत्ती न होना जाहिर किया ।

बहस सुनी गई । वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों का दोहरान करते हुए दावे को डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि खातेदार रामसहाय पुत्र गंगोल्या द्वारा दिनांक 3.12.2020 को वादिया के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है । यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 34 में रामसहाय के निधन के उपरान्त उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया, जिस कारण वादिया के नाम उसकी क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण नहीं खुल सका । यहां यह तथ्य भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि दौराने विचारण विक्रेता रामसहाय के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी रामसहाय द्वारा भूमि का वादिया को बेचान करना व भूमि पर वादिया का कब्जा होना कथित किया है तथा वादिया का वाद पत्र उसमें अंकित अनुतोष के अनुसार डिकी किए जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहिर नहीं किया है । इसके अतिरिक्त भी दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने भी व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होकर वादिया के कथनों के विपरीत किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया द्वारा दावे में किए गए कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

अवलोकन से वादिया का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादिया का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बाटौदा स्थित आराजी खसरा नम्बर 110 रकवा 1.49 हेक्टेयर में रामसहाय पुत्र गंगोल्या के हिस्से 49/298 का व खसरा नम्बर 34 रकवा 1.84 हेक्टेयर में से 13/184 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादिया को उसके हिस्से की आराजियात के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें । खर्चा मुकदमा के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, दोनों पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 3.7.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

लाड़बाई पत्नी बाबू लाल, उम्र 67 साल, जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, वादिया

बनाम

1. उगन्ती पत्नी रामसहाय
2. प्रहलाद पुत्र रामसहाय

दोनों जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला,
4. प्रेमवती पत्नी रामधन,
5. पान बाई पत्नी मीठा लाल,
6. बाबू लाल पुत्र बिरधा,

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 जाति बैरवा, निवासी बाटौदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 136/2022

वादिया स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 3.7.2025 को मुझ पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादिया का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बाटौदा स्थित आराजी खसरा नम्बर 110 रकवा 1.49 हेक्टेयर में रामसहाय पुत्र गंगोल्या के हिस्से 49/298 व खसरा

Scanned with CamScanner

नम्बर 34 रकवा 1.84 हेक्टेयर में से 13/184 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादिया को उसके हिस्से की आराजियात के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें । खर्चा मुकदमा के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, दोनों पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 3.7. 2025 को जारी की गई ।

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Scanned with CamScanner